B- ~~34~~ 4
L - 34
I. Polity

कार्यपालिका

- संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद का ही भाग मानी जाती है और संविधान के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका के पर्याय के रूप में माना जाता है

- संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा (अनुच्छेद 74 (1)) लेकिन संविधान में न तो मंत्रिपरिषद को परिभाषित किया गया है और न ही मंत्रियो के प्रकार का उल्लेख किया गया है।

- अनुच्छेद 75 (3) में यह उल्लेखित है कि मंत्रि-परिषद सामूहिक रूप मे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

- मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग पहलीबार 44वें संविधान संशोधन से किया गया (जनता-पार्टी सरकार) लेकिन मंत्रिमण्डल को भी परिभाषित नही किया गया

- संसदीय अधिनियम के द्वारा मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया गया और इसी अधिनियम के माध्यम से 4 (चार) प्रकार के मंत्रियो का उल्लेख किया गया।

PM

(i) कैबिनेट मंत्री (ii) वित्त मंत्री

(i) गृहमंत्री (iii) रक्षा मंत्री

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

(i) रेल मंत्री

(ii) राज्य मंत्री
(Minister of State)

- कैबिनेट मंत्री के अन्तर्गत कार्य करता है अधीन होता है।
- कैबिनेट मंत्री का सहायक
- मंत्रालय के किसी विभाग का दायित्व संभालता है।

(iii) राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार

(i) किसी मंत्रालय का प्रधान

(ii) कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं

(iii) इसमें होते मंत्रालय शामिल होते हैं।

(iv) उपमंत्री

(i) यह केवल कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है

(ii) कोई विभाग इनके पास नहीं होता हैं।

(iii) प्रेस, संसद में प्रश्न का उत्तर देना

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

मंत्रालयों का आकार और सुशासन

- भारत में मंत्रालयों की कुल संख्या लगभग 55 है और यह तर्क दिया जाता है कि ज्यादा मंत्रालयों के कारण निर्णय लंबित होते हैं।
- अमेरिका और चीन जैसे आर्थिक रूप में शक्तिशाली देशों में मंत्रालयों की संख्या लगभग 20-25 है जबकि भारत में मंत्रालयों का आकार लगभग इससे दो गुना है।
- 91वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित कर दी गई है
- जोकि मंत्रिमण्डल का आकार अभी भी निर्धारित नहीं है।
- मंत्रिमण्डल के किसी भी निर्णय के लिए मंत्रिमण्डल का बैठक आवश्यक है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही भागीदारी करते हैं। लेकिन मंत्रिमण्डल की बैठक को आसान बनाने के लिए मंत्रिमण्डलीय समितियों का निर्माण किया गया है इन समितियों का उल्लेख न तो संविधान में है न ही विधि में है अपितु यह समय-समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा गठित किया जाता है फिलहाल 8 मंत्रिमण्डलीय समितियाँ काम कर रही है जिसमें सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समितियाँ प्रमुख हैं।

- मंत्रालयों का बड़ा आकार से शासन में समन्वय और सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि कृषि मंत्रालय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य समावेशी एक समान है।
- वर्तमान सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और सामंजस्य के लिए ही गतिशक्ति योजना के रूप में एक नई पहल की गई जिसके माध्यम से आधारभूत संरचना से जुड़े हुए 16 विभिन्न मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफार्म पर एकत्रित किया गया जिससे मंत्रालयों के निर्णय त्वरित रूप में लिए जा सके।
- मंत्रालयों का निर्माण - प्रतिनिधित्व और कुशलता।